अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड
पोस्ट

पत्रांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 745स्वी9 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 24 / 01 / 2025

विषय : **स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–धुरगांव, प्रखण्ड–एकंगरसराय, जिला–नालन्दा, स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, बिलारी, प्रखण्ड–कतरीसराय, जिला–नालन्दा, स्व० वृजनन्दन प्रसाद, कचहरी सचिव प्रखण्ड–अस्थावा, जिला–नालन्दा एवं स्व० राजेश नाथ गौतम, ग्राम कचहरी न्यायमित्र प्रखण्ड–पीरपैंती, जिला–भागलपुर की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹16,00,000.00 (सोलह लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : स्वीकृत।

2. स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी–धुरगांव, प्रखण्ड–एकंगरसराय, जिला–नालन्दा, स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी–बिलारी, प्रखण्ड–कतरीसराय, जिला–नालन्दा, स्व० वृजनन्दन प्रसाद, कचहरी सचिव प्रखण्ड–अस्थावा, जिला–नालन्दा एवं स्व० राजेश नाथ गौतम, ग्राम कचहरी न्यायमित्र प्रखण्ड–पीरपैंती, जिला–भागलपुर को मृत्यु के फलस्वरूप प्रत्येक दिवंगत के आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि को जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं भागलपुर के द्वारा क्रमशः पत्रांक 2291 दिनांक 13.11.2024, 2417 दिनांक 29.11.2024, 2596 दिनांक–16.12.2024 एवं पत्रांक 2604 दिनांक 09.11.2024 के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3. विभागीय आदेश संख्या 216–सह–पठित ज्ञापांक–7243 दिनांक 11.11.2019 द्वारा ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त ₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की राशि का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को घोषित किया गया है।

5. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित कर्मियों के आश्रित को

₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹16,00,000.00 (सोलह लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि निम्नरूपेण स्वीकृत की जाती है :–

क्र०सं०	मृत व्यक्ति का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	स्व० किरण देवी, ग्राम कचहरी– धुरगांव, प्रखण्ड – एकंगरसराय, जिला– नालन्दा	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये)	जिला समाहरणालय का अभिलेख वाद संख्या 03 / 2024–25 में स्वीकृत एवं जिला पंचायत राज पदा० के पत्रांक–2291 दिनांक–13.11.2024
2	स्व० कौशलेन्द्र कुमार, ग्राम कचहरी– बिलारी, प्रखण्ड– कतरीसराय, जिला– नालन्दा	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये)	जिला समाहरणालय का अभिलेख सं०–06 / 2024–25 में स्वीकृत एवं जिला पंचायत राज पदा० के पत्रांक–2417 दिनांक–29.11.2024
3	स्व० वृजनन्दन प्रसाद, ग्राम पंचायत– जाना प्रखंड़–अस्थावा, जिला–नालन्दा	ग्राम कचहरी सचिव	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये)	जिला समाहरणालय का अभिलेख सं०–02 / 2024–25 में स्वीकृत एवं जिला पंचायत राज पदा० के पत्रांक–2596 दिनांक–16.12.2024
4	स्व० राजेश नाथ गौतम, ग्राम पंचायत–रिफतपुर प्रखण्ड–पीरपैंती, जिला–भागलपुर	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00 (चार लाख रूपये)	जिला समाहरणालय का अभिलेख सं०–15 / 2023–24 में स्वीकृत एवं जिला पंचायत राज पदा० के पत्रांक–2604 दिनांक–09.11.2024
	कुल		₹16,00,000.00 (सोलह लाख रूपये)	

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय " मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष– 0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0010. 37.01–अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980010 है।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रितों के खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

8. इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा एवं भागलपुर बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 में पृष्ठ–43 / टि0 पर दिनांक–11/1/25 .... को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका संख्या–: 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 में पृष्ठ संख्या–44 / टि0 पर दिनांक–22/01/25 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

14. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन
24.1.25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 74(स्वी०) / पं०रा० पटना, दिनांक 24/01/25
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, नालन्दा / कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर / कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

243

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 74(490) / पं०रा०पटना, दिनांक 24/01/25
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 74(490) पं०रा०पटना, दिनांक 24/01/25
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट) / आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा–05 के द्वारा आवंटनादेश निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संबंधित कर्मियों को पूर्व में विभाग से अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित नहीं की गयी है।

24.1
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–02 / 2024 / 74(490) पं०रा०पटना, दिनांक 24/01/25
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव